



तीन सप्ताह की छुट्टी के बाद, राहुल गांधी अपने देश लौटे

भाजपा में काफी जिज्ञासा व उत्कण्ठा है कि राहुल कांग्रेस व देश के सम्मुख प्रस्तुत गहन समस्याओं के बावजूद इतनी बेफ़्रिकी से विदेश कैसे निकल जाते हैं

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग तीन सप्ताह के राजनीतिक अवकाश के बाद दिल्ली लौट आए हैं। अवकाश के दौरान उन्होंने राजनीति की व्यस्तताओं से दूर रहकर फीफा विश्व कप का एक मैच देखा, स्कैंडिनेवियाई देशों की यात्रा की और कुछ समय विश्राम किया।

लेकिन, भारतीय जनता पार्टी को यह सब पच नहीं रहा है। उसने राहुल गांधी के इस विदेश दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। भाजपा सवाल उठा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों के बावजूद, राहुल गांधी इतने लंबे समय तक विदेश में समय कैसे बिता सकते हैं।

कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि क्या भाजपा को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि जब देश के भीतर अनेक

- राहुल गांधी ने हाल ही में इन छुट्टियों में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देखे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आनंदपूर्वक भ्रमण करके लौटे हैं। भाजपा का कटाक्ष है, क्या उनके आगमन के इंतज़ार में समस्याएं व मुद्दे “कोल्ड स्टोरेज” में शांति से ठंडी हवा खाते रहेंगे?

- कांग्रेस का खेमा जवाबी ताना मार रहा है, प्र.मंत्री ने देशवासियों को मितव्ययता और विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी, पर वे स्वयं इस परामर्श का खुला उल्लंघन करते हुए, एक के बाद एक विदेश यात्राओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।

- राजनीतिक हलकों की चर्चाओं के अनुसार, राहुल 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे तथा उसी के बाद, कांग्रेस पूरी तरह से हरकत में आएगी।

गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार विदेश यात्राओं में इतना समय क्यों व्यतीत करते हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े जोर-शोर से देशवासियों से अपील की थी कि वे विदेश यात्राओं से बचें, कम से कम खर्च करें और भविष्य के

लिए बचत करें।

राहुल गांधी के सामने इस समय पार्टी के भीतर विभिन्न चुनौतियों के साथ-साथ, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जानी है।

इसके अलावा, कांग्रेस नेतृत्व को राजधानी दिल्ली सहित, कई राज्यों में उत्पन्न राजनीतिक और संगठनात्मक परिस्थितियों से भी निपटना है।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे। इसके बाद उनके अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

सरकार ने नवम्बर तक पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताये

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित करने के सम्बंध में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में नवंबर

- हाई कोर्ट में संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई आज।

तक चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, मामले में संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

राज्य सरकार की ओर से समय बढ़ाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में करीब पचास फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई व्यवस्था के बारे में वे कहते हैं, “अब लाइसेंस लेने के लिए किसी अफसर या नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी व्यक्ति का कोई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चट्टा के वेव समूह के हाथों में था। रक्षालय याद करते हुए कहते हैं, “पॉन्टी चट्टा की दुकानें हर जगह थीं और हम जैसे छोटे लोगों को शराब के कारोबार में आने नहीं दिया जाता था।”

सीमा के समीप बने ढांचों की जाँच होगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर बनाई गई इमारतों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के नोटिस के खिलाफ कई रिट याचिकाएँ दायर की। इस मामले पर सुनवाई करते हुये न्यायधीश समीर जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह भारत की सीमा और सुरक्षा से संबंधित है और ऐसे

- हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भारत-पाक सीमा के करीब बने ढांचों को हटाने से संबंधित जाँच हेतु कमेटी बनाई जाए।

मामलों में न्याय से बढ़कर व्यावहारिक तथा और हालात जांचकर कदम उठाने चाहिये। अदालत ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बॉर्डर सिक््युरिटी फोर्स (बीएसएफ) के प्रतिनिधियों की कमेटियाँ गठित करने के आदेश दिये हैं। जो सीमावर्ती जिलों में ऐसी संवेदनशील इमारतों को चिन्हित करें हटाने का कार्य कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सदस्य देश की सुरक्षा को देखते हुए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 13 जुलाई। जब एक मामले पर फैसला सुनाने में कई वर्ष निकल जाए तो ऐसे विलम्बित आदेश से न्याय होता है या फिर सिर्फ कानूनी पेचीदगियाँ ही बढ़ती है। ऐसा ही एक जनहित से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें अंतिम फैसला सुनाने में अदालत को एक दशक से भी ज्यादा लगा और फिर दिये गये फैसले को कानूनी पेचीदगियों के चलते वापस लेना पड़ा और अंततोगत्वा बिल्कुल ही विपरीत फैसला हुआ।

इससे सवाल उठता है कि अदालत के समक्ष लंबी और गहन सुनवाई के बाद भी न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्याय करने की प्रक्रिया में ही बहुत देरी होती है और इस देरी से न्याय का कोई अर्थ नहीं रहता।

दरअसल वर्ष 2012 में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका पेश हुई थी। यह जनहित याचिका जयपुर सांगानेर और उदयपुर आसपास की कॉलोनियों के निवासियों

द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका में बड़े ही सीधे- सादे शब्दों में एक मुद्दा उठाया गया था कि सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हल्दीघाटी रोड से जोड़ने के लिए जयपुर के मास्टर प्लान में सौ फीट चौड़ी रोड दर्शायी गई है परन्तु इस सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि सड़क के किनारे और कई कई जगह पूरी सड़क पर ही अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतः याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार की थी कि वो प्रशासन को अतिक्रमण हटाने और सौ फीट रोड का निर्माण पूरा करने का आदेश दे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि चूंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और उसपर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है तो न तो उन्हें सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और न ही हल्दीघाटी रोड के लिए रास्ता मिलता है। उन्हें जयपुर टोंक हाईवे का इस्तेमाल करना पड़ता है।

मामले की अलग- अलग हुई सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि

- ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष उजागर होता हुआ दिख रहा है। यह मामला सांगानेर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हल्दीघाटी रोड को जोड़ रही सौ फीट रोड से संबंधित है।
- अदालत 2012 के बाद से कई बार आदेश में कह चुकी है कि मूल नक्शे के अनुसार ही सौ फीट रोड बनाई जाए और अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। यही जनहित का कार्य है।
- इन्हीं आदेशों के चलते अदालत ने जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को 2015 में 15 महीनों की मोहलत दी थी अतिक्रमणकारियों को हटाने और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए। परन्तु, जेडीए द्वारा अतिक्रमण तो नहीं हटाया गया उल्टे अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की कार्यवाही अवश्य 2017 तक पूरी कर ली गई।
- हालत यह है कि वर्ष 2025 में भी जेडीए पहले तो निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय मांगता रहा फिर सड़क का अलाइनमेंट बदलने के लिए निर्णय भी ले लिया। अदालत ने इस निर्णय की निंदा की और जेडीए को फटकार लगाई लेकिन फिर तकनीकी कारणों के कारण अदालत को आदेश वापस लेना पड़ा। अब नई अदालत में सुनवाई के बाद जेडीए के सड़क अदालत को रिअलाइनमेंट के फैसले को अनुमति भी दे दी गई।

उक्त सौ फीट रोड का निर्माण मुख्य तौर पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था।

30-40 प्रतिशत हिस्सा जे. डी. ए. द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2013 में

ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा अदालत में माना गया कि सड़क निर्माण के लिए निर्धारित जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा

है और वह पुलिस विभाग को तीन बार पत्र लिख चुका है कि वह अतिक्रमणकारियों को हटाने में बोर्ड की मदद करे। अदालत में इसी समय के आसपास जेडीए कमिश्नर द्वारा भी एक शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि अजय मार्ग एक्सटेंशन रोड करीबन 1.8 कि.मी. लंबी है और इसके समीप केवल डॉक्टर्स कॉलोनी और शिवपुरी कॉलोनी ही नियमित कॉलोनी हैं, अन्य पांच कॉलोनियाँ अनियमित और गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि नक्शे में उक्त सड़क की चौड़ाई सौ फीट दर्शायी गई है परन्तु वास्तविकता में कुछ जगहों पर यह केवल 3.7 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक ही रह गई है।

इन सब तथ्यों को जानने के बाद अदालत ने वर्ष 2015 में ही जेडीए को आदेश दिये थे कि वह अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई इमारतों को चिन्हित करे और साथ ही हाउसिंग बोर्ड को भी आदेश दिए गए थे कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, परन्तु ज़मीनी स्थिति बदलने और

सड़क का अलाइनमेंट बदलने के कारण अदालत में तोड़-फोड़ की कार्यवाही रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गईं।

मामले की पेचीदगियों को देखते हुए अदालत ने 2015 में महाधिवक्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने यह भी आदेश दिए थे कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और शहरी विकास विभाग मीटिंग कर इस समस्या को सुलझाएं और एक एक्शन प्लान तैयार करें। अदालत ने जेडीए को अलग से यह आदेश भी दिए थे कि वह सड़क के अलाइनमेंट बदलने के मुद्दे पर कार्य करे और 15 महीने में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करे। दूसरी ओर उन कॉलोनियों के निवासियों द्वारा अदालत में याचिका पेश कर सड़क के अलाइनमेंट को बदलने की गुहार की गई थी, क्योंकि घरों व दुकानों के निर्माण कर लिये गये थे और उनमें से कइयों के पास पंचायत के पट्टे थे।

हैरानी की बात है कि वर्ष 2017 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब लड़ाई अमेरिका, ईरान के बीच, इज़रायल तो पिक्चर में भी नहीं

क्योंकि जंग होर्मुज़ स्ट्रेट के मसले पर है, जिसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग मानता है, पर, ईरान इस पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है

- इसी के चलते, ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे दो जहाज़ों पर हमला कर दिया। यही नहीं अन्य देशों के जहाज़ों पर ईरान के हमले में कई भारतीय नाविक मारे गए। जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की थी।

- अमेरिका ने अब ईरान के सैन्य संस्थापनों के साथ-साथ नागरिक ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन आदि देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों व तेल के कुओं को निशाना बनाया है।

तरह नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, तेल भंडारण केन्द्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

पिछले पंद्रह दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों

तेज करता दिखाई दे रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में अन्य देशों के जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों में कार्यरत कई भारतीय नाविकों की मौत नहीं दे रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों और भारतीय नाविकों की मृत्यु की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह संघर्ष मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच सीमित हो गया है, जिसमें इजरायल की प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। उतकाव का केन्द्र अब होर्मुज़ स्ट्रेट बन गया है। अमेरिका इसे एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानता है, जबकि ईरान इसे अपने राष्ट्रीय नियंत्रण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)